कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

संख्या : सा०प्र० / स्टाफ कार / विक्रय / 2022–23 / 3317   दिनांक: 12.12.2022

निविदा

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून द्वारा पुराना वाहन Maruti Suzuki SX4 vxi (Petrol)/04 cylinders/05 Seater/Gross Weight 1650/104.69 Bhp 85600R Horse Power Capacity/Manufacturing Year 2012 के विक्रय हेतु रजिस्टर्ड एजेंसी / फर्म से निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा के नियम एवं शर्तें इस कार्यालय के Website – agua.cag.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी / फर्मों को धरोहर राशि रू० 1,000/– (Non Refundable) Demand Draft, in favour of Pay and Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E) Uttarakhand, Payable at Dehradun के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय स्थित Sr. Dy. Accountant General (Admn.) के सचिवालय (4th Floor) में रखे Drop Box में दिनांक 27.12.2022 तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 05:00 बजे तक डाला जा सकता है एवं निविदा दिनांक 28.12.2022 को 03:00 PM बजे खोला जायेगा। वाहन "जहाँ है जैसा है" की दशा में विक्रय किया जाएगा। वाहन को दिनांक 26.12.2022 तक कार्यालय कार्य दिवसों में 03:00 PM से 05:00 PM तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में भौतिक रूप से निरीक्षण किया जा सकता है। कार्यालय को पूर्ण अधिकार होगा कि वह वाहन की विक्रय प्रक्रिया को बिना कारण निरस्त कर सकते है अथवा तिथि में परिवर्तन कर सकते है। इसके साथ ही कोई विवाद होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

12/12/22

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

स्थान : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

वाहन विक्रय हेतु नियम व शर्तें।

1. वाहन Maruti Suzuki SX4 vxi (Petrol)/04 cylinders/05 Seater/Gross Weight 1650/104.69 Bhp 85600R Horse Power Capacity/Manufacturing Year 2012, के विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी/फर्म अपनी लिफाफा बंद निविदा के साथ धरोहर राशि रू० 1,000/– का Demand Draft, In favour of Pay and Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E) Uttarakhand, Payable at Dehradun दिनांक 27.12.2022 को 05:00 P.M. बजे तक कार्यालय में जमा करना होगा। बिना धरोहर राशि जमा किये कोई भी निविदा मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा। धरोहर के रूप में जमा की गयी धनराशि वापस नहीं की जाएगी।

2. वाहन का विक्रय किये जाने की समस्त कार्यवाही विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में की जाएगी।

3. सफल उच्चतम निविदा वाली फर्म/एजेंसी को रू० 10,000/– गठित विभागीय समिति के पास नगद जमा करनी होगी। शेष धनराशि को स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिन में Banker Check In favour of Pay and Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E) Uttarakhand, Payable at Dehradun के नाम जमा करना होगा। यदि उच्चतम सफल निविदा शेष धनराशि समय सीमा के अन्तर्गत जमा करने में असफल होता है तब ऐसी स्थिति में दूसरी सफल निविदा वाली फर्म/एजेंसी के नाम वाहन को छोड़ने पर विचार किया जा सकता है तथा पहले की नगद जमा धनराशि जब्त (Forfeit) हो जाएगी।

4. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) को किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

5. यदि कोई GST/TDS/TCS अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः........

6. Central Motor Vehicle Rules, 1989 (संशोधित) नियमावली के अधीन 30 दिनों में इस सरकारी वाहन का पुनः पंजीकरण वाहन स्वामी को अपने नाम से कराना होगा एवं RTO से प्राप्त नवीन पंजीकरण की सत्यापित प्रति इस कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके बाद ही गाड़ी क्रेता को Hand Over की जाएगी। इस संबंध में कार्यालय के तरफ की जाने वाली सारी कार्यवाही की जाएगी।

7. वाहन विक्रय की अंतिम स्वीकृति वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून द्वारा प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त वाहन को उठाया जा सकेगा।

8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सफल निविदा को लिखित सूचना पर पैरा–3 की शर्त के अनुसार वाहन की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर नयी पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया करने के 07 दिनों में वाहन को उठाना होगा।

9. उपरोक्त शर्तों के विषय में तथा तिथि स्थगित होने या बदलने एवं प्रक्रिया के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड, देहरादून का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

10. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रक्रिया को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही कर सकता है।

12/12/22

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

Annexure-I

Particular	Quoted Amount (in Rupees)
Maruti Suzuki SX4 vxi (Petrol) 04 cylinders 05 Seater Gross Weight 1650/104.69 Bhp 85600R Horse Power Capacity Manufacturing Year 2012	

Signature